Australian Government
Australian Financial Security Authority

Insolvency Services

अनियंत्रित देनदारी से निपटना

मई*May2014*

हमारा परिचय

द ऑस्ट्रेलियन फिनांशियल सिक्यूरिटी अथारटी (एएफएसए AFSA) एक सरकारी एजेंसी है जो व्यक्तिगत दिवालियापन प्रणाली, आपराधिक आगमों, ट्रस्टी सेवाओं के प्रशासन एवं विनियमन तथा व्यक्तिगत संपत्ति ज़मानत रजिस्टर (पीपीएसआर PPSR) के प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार है।

हमारा उद्देश्य दिवालियापन तथा व्यक्तिगत संपत्ति ज़मानत क़ानून के अनुपालन, व्यक्तिगत दिवालियापन व्यवसायियों एवं ट्रस्टी सेवाओ के विनियमन द्वारा उपभोक्ताओं, कारोबारियों एवं समुदायों को समुन्नत एवं समरूप वित्तीय परिणाम देना है।

अनियंत्रित देनदारी से निपटना

अपनी देनदारियों को निपटाने में आपको विभिन्न कारणों से दिक्कत आ सकती है, जिनमें से कई तो आपके नियंत्रण के बाहर होतीं हैं। उदाहरण के लिए, अचानक बेरोजगार हो जाने, बीमार पड़ जाने या पारिवारिक संबंधों के टूटने से वित्तीय संकट बढ़ सकते हैं।

यदि आप वित्तीय कठिनाई का अनुभव करते / करती हैं तो आप ये कार्रवाई करने पर विचार कर सकते / सकती हैं।

सहायता लेना

प्रत्येक राज्य एवं टेरिटरी (राज्य-क्षेत्र) में वित्तीय सलाहकार सुलभ हैं, जिनकी सेवाएं नि:शुल्क, निष्पक्ष एवं गोपनीय होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं पर भी 1800 007 007 पर फ़ोन करते हुए वित्तीय सलाहकार से बात कर सकते / सकती हैं। यह नंबर स्वत: ही आपको अपने निकटतम राज्य अथवा टेरीटरी (राज्य-क्षेत्र) की सेवा से जोड़ देगा।

एएफएसए AFSA आपको अपने निकटतम रजिस्टर्ड ट्रस्टियों तथा ऋण करार प्रशासकों की जानकारी दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.afsa.gov.au देखें अथवा हमें 1300 364 785 पर कॉल करें।

सही विकल्प चुनें

प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। जो विकल्प एक व्यक्ति के लिए सुविधाजनक है वह दूसरे व्यक्ति के लिए सुविधाजनक नहीं भी हो सकता है। अपने विकल्प पर विचार करते समय वर्तमान परिस्थिति के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सोचना ज़रूरी है कि भविष्य में आपके साथ क्या होने की आशंका है।

एएफएसए AFSA यह परामर्श नहीं देता है कि किसी परिस्थिति विशेष में कौन सा विकल्प चुनना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको निष्पक्ष परामर्श लेने की सलाह दी जाती है।

अनौपचारिक विकल्प

अनियंत्रित देनदारी से निपटने का एक तरीका अपने लेनदारों (जिनके आप कर्ज़दार हैं) से मिलकर

- उनसे अनुरोध करना है कि वे क़र्ज़ चुकाने के लिए आपको अधिक मोहलत दें
- क़र्ज़ चुकाने के मसले पर फिर से बातचीत करें
- उनसे पूछें- समूचा क़र्ज़ निपटाने के लिए क्या क़र्ज़ चुकाने की रकम घटायी जा सकती है।

अपने लेनदारों से आप सीधे संपर्क कर सकते/सकती हैं अथवा वित्तीय परामर्श सेवा से मदद भी मांग सकते/सकती हैं।

औपचारिक विकल्प

अनियंत्रित देनदारी से निपटने के लिए दिवालियापन अधिनियम चार औपचारिक विकल्प देता है। किसी औपचारिक व्यवस्था में

शामिल होने को गंभीरता से लें जिससे आपकी साख-दर (क्रेडिट रेटिंग) पर असर पड़ सकता है।

देनदार याचिका दायर करने की इच्छा जताने का घोषणा पत्र (डीओआई)

डीओआई (DOI) लेनदार की प्रवर्तन कार्रवाई से अंतरिम राहत दिलाता है। यह आपके बे-ज़मानती लेनदारों को आपका वेतन जब्त करने (गार्निशिंग) से रोकता है तथा/या किसी 'बेलिफ' या 'शेरिफ' को आपकी संपत्ति जब्त करके ऋण की रकम वसूल करने से 21 दिन के लिए रोकता है। किसी ज़मानती लेनदार को आपकी संपत्ति पर कब्जा करने से यह नहीं रोकता है।

हालांकि 21 दिन बाद आपको दिवालिया होने की ज़रूरत तो नहीं है फिर भी डीओआई (DOI) दायर करने की अपनी सीमाएं हैं।

ऋण-करार

ऋण करार आप और आपके लेनदार के बीच कानूनी रूप से बाध्यकर व्यवस्था है। आप अपने लेनदार को किस्तों में या समूचे ऋण से घटाई हुई रकम को एक मुश्त में चुकाने की पेशकश कर सकते / सकती हैं। आप उस समय तक अपने ऋण को चुकाने को रोके रखने का भी प्रस्ताव रख सकते / सकती हैं जब तक कि आप स्वावलंबी न हो जाएँ।

कुछ पात्रता संबंधी अपेक्षाएं हैं, जैसे कि आपके बे-ज़मानती ऋण, परिसंपत्तियां एवं कर चुकाने के बाद की आय एक सीमा तक होनी चाहिए। ऋण करार आम तौर पर पंजीकृत ऋण करार प्रशासक (आरडीएए RDAA) द्वारा सेवा-शुल्क लेकर करवाया जाता है।

व्यक्तिगत दिवालियापन करार (पीआईए)

पीआईए (PIA) आप और आपके लेनदार के बीच कानूनी रूप से बाध्यकर व्यवस्था है जिसके तहत आप ऋण को पूर्ण या आंशिक रूप से किस्तों में या एकमुश्त चुकाने की पेशकश करते/करती हैं।

ऋण करार के विपरीत इसमें परिसंपत्ति या आय की कोई सीमा नहीं है। आपको एक नियंत्रक ट्रस्टी नियुक्त करना होगा जो आपके मामलों की जांच कर आपके लेनदारों को रिपोर्ट भेजा करेगा। यदि लेनदारों को प्रस्ताव स्वीकार्य है तो करार ट्रस्टी करवाएगा।

दिवालियापन

यदि आप अपने देनदारों से कोई करार करने में असमर्थ हों तो स्वेच्छा से दिवालिया होने की याचिका दायर कर सकते/सकती हैं। एक बार दिवालिया हो गए तो फिर आपका ट्रस्टी आपके लेनदारों को ऋण चुकाने के लिए उस परिसंपत्ति को बेच देगा जो अब आपकी नहीं रही।

कुछ परिस्थितियों में, लेनदार आपको दिवालिया बनाने की कार्रवाई कर सकता है।

अधिक जानकारी

उक्त सभी औपचारिक विकल्पों के गंभीर परिणाम होते हैं। यह सलाह दी जाती है कि किसी औपचारिक व्यवस्था को अपनाने से पूर्व सभी विकल्पों की छानबीन कर लें।

www.afsa.gov.au. में इन सभी विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

विशेषताओं की तुलना

नीचे दी गयी तालिका में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत दिवालियापन प्रशासनों की बुनियादी तुलना की गयी है, जो सामान्य तुलना मात्र है और विशेष परिस्थितियों में इनकी विशेषताएँ बदल सकती हैं। AFSA वेबसाइट में विस्तृत तुलनात्मक तालिका दी गई है|

विभिन्न प्रकार के दिवालियापन प्रशासन के बीच विशेषताओं की तुलना	ऋणकरार	व्यक्तिगत दिवालियापन करार	दिवालियापन
पात्रता			
ऑस्ट्रेलियन संपर्क अपेक्षित	नहीं	हाँ	हाँ
पिछले दिवालियापन से प्रभावित हैं	नोट 1	नोट 1	नोट 1
आय / परिसंपत्ति/ ऋण सीमा लागू है	हाँ	नहीं	नहीं
आय, रोजगार एव व्यापार			
अपेक्षित आय से भुगतान	नोट 2	नोट 2	नोट 3
कारोबार जारी रखने की योग्यता	नोट 4	नोट 4	नोट 5
निगम का निदेशक बनने/ प्रबंध की योग्यता	हाँ	नहीं	नहीं
रोजगार के अन्य निषेध	हाँ	हाँ	हाँ
परिसपत्तिया			
करार / दिवालियापन के दौरान प्राप्त परिसंपत्ति सहित परिसंपत्ति रखने की योग्यता	नोट 4	नोट 4	नोट 6
पहले बाज़ार मूल्य से कम में अंतरित / बेची गई परिसम्पत्तियों से वसूली	नहीं	नोट 2	हाँ
करार / दिवालियापन से पूर्व लेनदारों को किये गये भुगतानों की वसूली	नहीं	नोट 2	हाँ
ऋण			
कुछ बे-ज़मानाती ऋणों का प्राथमिक भुगतान	नही	नोट 2	हाँ
प्रभावित ज़मानती ऋण	नहीं	नहीं	नहीं
ऋण से मुक्ति	नोट 7	नोट 7	नोट 7
निषध			
विदेश यात्रा	नहीं	नहीं	हाँ
ऑस्ट्रेलिया में यात्रा	नहीं	नहीं	नहीं
और अधिक ऋण लेना	नोट 8	नहीं	नोट 8
शल्क एव प्रभार			
सांविधिक फाईलिंग शल्क, सांविधिक लेवी एवं प्रशासनिक शुल्क	हाँ	हाँ	हाँ

नोट 1: प्रशासन के स्वरुप तथा इससे पूर्व दिवालिया होने के समय पर आधरित। नोट 2: हाँ, यदि करार में इसका प्रावधान है | नोट 3: हाँ, यदि सांविधिक आय का प्राथमिक स्रोत अधिक हो, तो। नोट 4: हाँ, बशर्ते करार में अन्यथा प्रावधान न हो, तो| नोट 5: कारोबार के स्वरुप तथा / या ट्रस्टी के विवेक पर निर्भर है। नोट 6 आम तौर पर नहीं,परन्तु कुछ परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है। नोट 7: आम तौर पर हाँ, परन्तु कुछ ऋण चुकाए न गए हों, तो। नोट 8: यदि सांविधिक सीमा से अधिक ऋण लिया जाता है तो करार / दिवालियापन की जानकारी देनी होगी ।

हमसे संपर्क कैसे करें

दिवालियापन सवा
वेबसाइट Website :www.afsa.gov.au
ई-मेल Email: info@afsa.gov.au
टेलीफ़ोन Telephone :1300364785
कार्यसमय (AESTऔर AEDT) • सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8.30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक • शनिवार एवं राष्ट्रीय/सार्वजनिक छुट्टियों के दिन सुबह ९ बजे से लेकर २ बजे तक क्रिसमस/नव-वर्ष अवधि के दौरान कार्या समय जानने के लिए हमारी वेबसाइट देखें।

अन्य भाषाओँ में सहायता

www.afsa.gov.au. पर अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है। यदि आपको अंग्रेज़ी बोलने या समझने में दिक्कत हो तो आप अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (टीआईएस) नेशनल को 131 450 पर स्थानीय कॉल की दर से फ़ोन कर सकते / सकती हैं। टीआईएस TIS 170 से भी अधिक भाषाओं में सप्ताह में सातों दिन 24सों घंटे उपलब्ध है।